मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 137/2845/2019/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 17/01/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
भोपाल।

विषय :— मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग—2 के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

***

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स, 1995 भाग—2 में जनजातीय कार्य विभाग (पूर्व नाम आदिम जाति कल्याण विभाग) मध्यप्रदेश को सरल क्रमांक 18,19,20 एवं 27 के अन्तर्गत वर्तमान प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों को अधिक्रमित करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं:—

क्रमांक	मद	प्राधिकारी	वित्तीय अधिकार की सीमा	शर्ते
18.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण कार्यो का प्रशासकीय अनुमोदन	1. कलेक्टर	₹. 50.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति उपरांत
		2.परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास	₹. 10.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति उपरांत
19.	आदिवासी कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माणों के विस्तृत प्राक्कलनों की तकनीकी मंजूरी	1. कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्री के समान	प्रचलित दर अनुसूची पर प्राक्कलन अनुसार
		2. सहायक यंत्री आदिवासी विकास	कार्य विभाग के सहायक यंत्री के समान	प्रचलित दर अनुसूची पर प्राक्कलन अनुसार
	विभागीय संस्थाओं के भवनों में सामान्य मरम्मत के कार्यो हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना	1. कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्री के समान	
		2. सहायक यंत्री आदिवासी विकास	राशि रूपये 50,000/—तक	

Rule-381

20.	निर्माण कार्य की निविदाएं, ठेके तथा अनुबंध को स्वीकार करने तथा निविदा दर स्वीकृत की शक्ति	1. संभागीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष	कार्य विभाग के मुख्य अभियन्ता के समान	कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास विभाग के अभिमत पर
		2. कलेक्टर	कार्य विभाग के अधीक्षण यंत्री के समान	कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास विभाग के अभिमत पर
		3. परियोजना प्रशासक / संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग / जिले के विभाग के अधिकारी	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्री के समान	कार्यपालन यंत्री आदिवासी विकास विभाग के अभिमत पर
		4. कार्यपालन यंत्री जनजाति कल्याण विभाग	कार्य विभाग के कार्यपालन यंत्री के समान	—
23.	निर्माण कार्यो के रनिंग बिलों को पारित करना	सहायक आयुक्त / कार्यपालन यंत्री / जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग	पूर्ण शक्तियॉ	निर्माण कार्य का मूल्यांन विभाग के उपयंत्री के द्वारा माप दर्ज उपरांत विभाग के सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नियमानुसार माप सत्यापन किये जाने पर
24.	निर्माण कार्य का अंतिम देयक पारित करना	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास विभाग	पूर्ण शक्तियॉ	देयक का विभाग के उपयंत्रीद्वारा मूल्यांकन, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा सत्यापन तथ जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन उपरांत
27.	विशेष मरम्मत की मंजूरी देने की शक्ति	1. संभागीय आयुक्त / विभागाध्यक्ष	₹.5.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी प्रतिवेदन / स्वीकृति उपरांत
		2. कलेक्टर	₹.1.00 लाख	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी प्रतिवेदन / स्वीकृति उपरांत
		3. परियोजना प्रशासक / संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग	₹.50 हजार	सक्षम प्राधिकारी से कार्य के प्राक्कलन पर तकनीकी प्रतिवेदन / स्वीकृति उपरांत

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

Rule-382

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक /2845/2019/नियम/चार
प्रतिलिपिः—

भोपाल, दिनांक /01/2020

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

(राजेश कुमार बाजपेयी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग